



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-28102022-239907
CG-MH-E-28102022-239907

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4821]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 27, 2022/कार्तिक 5, 1944

No. 4821]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 27, 2022/KARTIKA 5, 1944

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 25 अक्टूबर, 2022

का.आ. 5039(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), की धारा 2 के खंड (7क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) तहसील के संबंध में महाराष्ट्र राज्य में, “पचोरा - जामनेर का मलकापुर तक विस्तार और नैरो गेज से ब्रॉड गेज (84.34 किलोमीटर)” विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी	तालुका	जिला
1	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (1) (यूटीपीएच) जलगांव	पचोरा	जलगांव
2	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (1) (यूटीपीएच) जलगांव	जामनेर	जलगांव
3	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (1) (यूटीपीएच) जलगांव	बोडवड	जलगांव

[फा. सं. G 197/2022/GOM/PC-JMNR/OCT/7A]

मनोज शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Central Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 25th October, 2022

S.O. 5039(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as “**Competent Authority**” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project of “**Pachora - Jamner with extension upto Malkapur- Narrow Gauge to Broad Gauge (84.34 Kms)**” in the State of Maharashtra relating to villages Mentioned in Column (3) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such special Railway Project.

TABLE

S. No.	Competent Authority	Taluka	District
1	Special Land Acquisition Officer (1) (UTPH) Jalgaon	Pachora	Jalgaon
2	Special Land Acquisition Officer (1) (UTPH) Jalgaon	Jamner	Jalgaon
3	Special Land Acquisition Officer (1) (UTPH) Jalgaon	Bodwad	Jalgaon

[F. No. G 197/2022/GOM/PC-JMNR/OCT/7A]

MANOJ SHARMA, Chief Administrative Officer (Construction)